संख्या-3/202018/63-व0उ0-2020-50(एच)/06टी.सी.

प्रेषक,

प्रभान्शु श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 15 जनवरी, 2020

विषयः- उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति-2014 अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1129/ह0क0-ब्या0उपा0यो0/2019-20 दिनांक 01.01.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति-2014 अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना हेतु 23 वस्त्र इकाइयों के दावों की धनराषि रु0 4,33,29,542/-(रुपये चार करोड़, तैंतीस लाख, उनतिस हजार, पाच सौ बयालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जाने वाली धनराशि शासनादेश संख्या-769/63व0उ0-2016-50(एच)/2006टी.सी-2 दिनांक 10.06.2016 के निहित प्राविधानों के तहत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- प्रस्तर-1 मंे स्वीकृत धनराशि रु0 4,33,29,542/-(रुपये चार करोड़, तैंतीस लाख, उनतिस हजार, पाच सौ बयालीस मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-04-उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना-20-सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

संलग्नकः-उपरोक्त सूची।

प्रभान्शु श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-3/2020/18(1)/63-व0उ0-2020 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

प्रभान्शु श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in